

भारत सरकार
पर्यटन मंत्रालय
लोक सभा

लिखित प्रश्न सं. +1106

सोमवार, 29 जुलाई, 2024/7 श्रावण, 1946 (शक)
को दिया जाने वाला उत्तर

पर्यटन और आतिथ्य क्षेत्र

+1106. डॉ. टी. सुमति उर्फ तामिझाची थंगापंडियन:

क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या केंद्र सरकार ने तमिलनाडु राज्य को पर्याप्त धनराशि आवंटित नहीं की है, जबकि तमिलनाडु देश में बड़ी संख्या में घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय पर्यटकों को आकर्षित करने वाले शीर्ष अग्रणी राज्यों में से एक है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
- (ख) वर्ष 2019 से लेकर अब तक देश में पर्यटन, यात्रा और आतिथ्य क्षेत्र को कितनी वित्तीय हानि हुई है;
- (ग) इस संबंध में और देश में, विशेषकर तमिलनाडु में पर्यटन और आतिथ्य क्षेत्र को पुनर्जीवित करने के लिए सरकार द्वारा क्या सक्रिय कदम उठाए गए हैं; और
- (घ) पिछले 10 वर्षों के दौरान तमिलनाडु में विभिन्न पर्यटन विकास और बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के लिए आवंटित धनराशि का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

पर्यटन मंत्री

(श्री गजेन्द्र सिंह शेखावत)

(क) से (घ): जी नहीं, स्वदेश दर्शन, तीर्थस्थान जीर्णोद्धार और आध्यात्मिक विरासत संवर्धन अभियान संबंधी राष्ट्रीय मिशन (प्रशाद) और पर्यटन अवसंरचना विकास के लिए केन्द्रीय एजेंसियों को सहायता योजनाओं के अंतर्गत तमिलनाडु राज्य में स्वीकृत परियोजनाओं का ब्यौरा अनुबंध-1 में दिया गया है।

पर्यटन मंत्रालय ने स्वदेश दर्शन योजना को हाल ही में स्वदेश दर्शन 2.0 (एसडी 2.0) का नया रूप दिया है, जिसका उद्देश्य गंतव्य और पर्यटन केंद्रित दृष्टिकोण अपनाते हुए स्थायी और जिम्मेदार पर्यटन स्थलों को विकसित करना है। इस योजना के तहत मंत्रालय ने तमिलनाडु के मामल्लापुरम में 30.02 करोड़ रुपये की लागत से 'शोर टैपल में इमर्सिव एक्सपीरियंस' नामक एक परियोजना को स्वीकृति दी है।

आतिथ्य सहित घरेलू संवर्धन और प्रचार (डीपीपीएच) योजना के अंतर्गत मेलों/उत्सवों और पर्यटन संबंधी कार्यक्रमों के आयोजन के लिए तमिलनाडु राज्य को वित्तीय सहायता भी प्रदान की गई है। पिछले पांच वर्षों में तमिलनाडु राज्य के लिए स्वीकृत निधियों का ब्यौरा अनुबंध-II में दिया गया है।

पर्यटन मंत्रालय ने “भारत और कोरोना वायरस महामारी: पर्यटन से जुड़े परिवारों के आर्थिक नुकसान और बहाली के लिए नीतियां - चरण-II पर एक अध्ययन किया है। इस संबंध में, पर्यटन प्रत्यक्ष सकल मूल्य वर्धन (टीडीजीवीए) पर प्रभाव निम्नानुसार है:

- जहाँ समग्र अर्थव्यवस्था में वर्ष 2020-21 की पहली तिमाही में वर्ष 2018-19 (एक पूर्णतः सामान्य महामारी पूर्व वर्ष) की इसी तिमाही की तुलना में 11.8 प्रतिशत की मामूली गिरावट देखी गई, वहीं पर्यटन अर्थव्यवस्था या टीडीजीवीए में आपूर्ति पक्ष के कारण इसी तिमाही में 49.6 प्रतिशत की अत्यधिक गिरावट देखी गई।
- तथापि, मांग पक्ष के प्रभाव को भी ध्यान में रखते हुए, जो टीडीजीवीए में सबसे अधिक संभावित नुकसान दर्शाता है, यह अनुमान लगाया गया है कि टीडीजीवीए वित्त वर्ष 2020-21 की पहली तिमाही में 2018-19 की इसी तिमाही की तुलना में 93.0 प्रतिशत तक गिर गया था। यह पहली लहर के प्रभाव को दर्शाता है।
- दूसरी लहर का भी पर्यटन अर्थव्यवस्था पर लगभग ऐसा ही प्रभाव पड़ा और वित्त वर्ष 2021-22 की पहली तिमाही में टीडीजीवीए में 87.2 प्रतिशत की गिरावट आई। तीसरी लहर का प्रभाव अपेक्षाकृत कम था, लेकिन पर्यटन अर्थव्यवस्था में 2018-19 में रहे महामारी-पूर्व के स्तर की तुलना में वर्ष 2020-21 और 2021-22 की पूरी अवधि में नकारात्मक वृद्धि दर्ज की गई।

पर्यटन मंत्रालय ने तमिलनाडु सहित देश में पर्यटन एवं आतिथ्य क्षेत्रों के पुनरुद्धार के लिए निम्नलिखित सक्रिय कदम उठाए:

- i. कोविड-19 महामारी के कारण उत्पन्न कठिनाईयों से उबरने के लिए, पर्यटन मंत्रालय ने "कोविड प्रभावित पर्यटन सेवा क्षेत्र के लिए ऋण गारंटी योजना (एलजीएससीएटीएसएस)" की शुरुआत की, जिसके तहत, पर्यटन मंत्रालय द्वारा अनुमोदित/मान्यता प्राप्त प्रत्येक दूर ऑपरेटर/ट्रैवल एजेंट/पर्यटक परिवहन ऑपरेटर 10.00 लाख रुपये तक का ऋण लेने का पात्र था और पर्यटन मंत्रालय द्वारा

अनुमोदित/मान्यता प्राप्त प्रत्येक क्षेत्रीय पर्यटक गाइड/अतुल्य भारत पर्यटक गाइड और राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन द्वारा अनुमोदित/मान्यता प्राप्त पर्यटक गाइड 1.00 लाख रुपये तक का ऋण लेने का पात्र था। उक्त योजना की वैधता दिनांक 31.03.2023 तक थी। ऋण राशि के पुनर्भुगतान की अवधि प्रथम संवितरण की तारीख से 5 वर्ष तक की होगी। 31.03.2024 तक की स्थिति के अनुसार, लगभग 6.82 करोड़ रुपये की 476 गारंटी जारी की गई हैं, जिनमें से 6.19 करोड़ रुपये के ऋण वितरित किए जा चुके हैं।

- ii. मंत्रालय ने होटल, रेस्तरां, बीएंडबीएस/होमस्टे और पर्यटन सेवाप्रदाताओं के लिए कोविड सुरक्षा और स्वच्छता संबंधी विस्तृत प्रचालन दिशानिर्देश तैयार किए और दिनांक 08.06.2020 को जारी किए ताकि कोविड के बाद व्यवसाय के पुनरुद्धार और बहाली में सहायता मिल सके।
- iii. होटल, रेस्तरां, बीएंडबी और अन्य इकाइयों के सुरक्षित प्रचालन के लिए कोविड-19 और उससे आगे के संदर्भ में जारी दिशानिर्देशों/एसओपी के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए **SAATHI** (सिस्टम फॉर असेसमेंट, अवेयरनेस एंड ट्रेनिंग फॉर हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री) नामक एक पहल तैयार की गई थी।
- iv. कोविड-19 महामारी से उत्पन्न स्थिति के कारण, पर्यटन मंत्रालय ने व्यवसाय की निर्बाध बहाली में सहायता के लिए स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के परामर्श से पर्यटन हितधारकों, होटलों और रेस्तरां हेतु दिशानिर्देश/निर्देश जारी किए।
- v. नागरिकों को अपने देश की यात्रा करने के लिए प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से देखो अपना देश पहल शुरू की गई।
- vi. अन्य पर्यटन उप-उत्पादों के साथ निरोगता पर्यटन, कलीनरी पर्यटन, ग्रामीण, इको-टूरिज्म आदि जैसे थीमेटिक पर्यटन को बढ़ावा दिया जाता है ताकि अन्य क्षेत्रों में भी पर्यटन के दायरे को बढ़ाया जा सके।
- vii. विदेश मंत्रालय ने इन महत्वपूर्ण बाजारों में भारत को पर्यटन गंतव्य के रूप में बढ़ावा देने के लिए विदेशों में 20 भारतीय मिशनों में पर्यटन अधिकारियों को नामित किया है।

अनुबंध-1

डॉ. टी. सुमति उर्फ तामिझाची थंगापंडियन द्वारा पर्यटन और आतिथ्य क्षेत्र के संबंध में दिनांक 29.07.2024 को पूछे जाने वाले लोक सभा के लिखित प्रश्न सं. +1106 के भाग (क) से (घ) के उत्तर में विवरण

स्वदेश दर्शन योजना
में)

(करोड़ रु.

क्र.सं.	परिपथ/स्वीकृति वर्ष	परियोजना का नाम	स्वीकृत राशि	जारी की गई राशि
1.	तटीय सर्किट 2016-17	चेन्नई - मामल्लपुरम - रामेश्वरम - मानपाडु - कन्याकुमारी का विकास	73.13	71.03

प्रसाद योजना
में)

(करोड़ रु.

क्र.सं.	परियोजना का नाम	स्वीकृति वर्ष	स्वीकृत लागत	जारी की गई राशि
1.	कांचीपुरम का विकास	2016-17	13.99	13.99
2.	वेलंकन्नी का विकास	2016-17	4.86	4.86

पर्यटन अवसंरचना विकास के लिए केंद्रीय एजेंसियों को सहायता योजना

(करोड़ रु. में)

क्र.सं.	परियोजना का नाम	केंद्रीय एजेंसी	स्वीकृति वर्ष	स्वीकृत राशि	जारी की गई राशि
1.	चेन्नई पोर्ट पर मौजूदा यात्री टर्मिनल में क्रूज यात्री सुविधा केन्द्र	चेन्नई पोर्ट ट्रस्ट	2012-13	17.25	17.25
2.	रामेश्वरम रेलवे स्टेशन का संयुक्त विकास	रेल मंत्रालय	2017-18	4.70	3.76
3.	मदुरै रेलवे स्टेशन का संयुक्त विकास	रेल मंत्रालय	2018-19	4.48	3.56

अनुबंध-II

डॉ. टी. सुमति उर्फ तामिझाची थंगापंडियन द्वारा पर्यटन और आतिथ्य क्षेत्र के संबंध में दिनांक 29.07.2024 को पूछे जाने वाले लोक सभा के लिखित प्रश्न सं. +1106 के भाग (क) से (घ) के उत्तर में विवरण

पिछले पांच वर्षों में मेलों और उत्सवों तथा पर्यटन संबंधी कार्यक्रमों के आयोजन के लिए तमिलनाडु सरकार को वित्तीय सहायता:

(लाख रुपए में)

क्र. सं.	वर्ष	मेलों और उत्सवों का नाम	स्वीकृत राशि	जारी की गई राशि
1	2019-20	भारतीय नृत्य महोत्सव	25.00	25.00
2	2019-20	कुमारी महोत्सव	10.00	10.00
3	2019-20	पर्यटन सांस्कृतिक महोत्सव	15.00	15.00
4	2021-22	मामल्लपुरम में भारत नृत्य महोत्सव	25.00	25.00
5	2022-23	मामल्लपुरम में भारत नृत्य महोत्सव	25.00	25.00
